

मु. नं. 24 / 2019

23.09.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी संख्या 5 का बार-बार आवाज लगाई कोई उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमलल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सरनाऊ पटवार हल्का सरनाऊ तहसील साचौर के खेत खसरा नम्बर 292/1313 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि प्रार्थी का अलग तरमीम सुदा आई हुई है। तथा इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त उपयोग-उपभोग का आया हुआ है। उक्त खेत की तारबंदी की हुई है, व माठ पर वर्षों पुराने दरखत खड़े हैं, लेकिन प्रतिवादीगण उक्त तारबंदी व माठ को तोड़कर जवरन प्रवेश करते रहते हैं। उक्त भूमि से बैदखल करना चाहते हैं। जिन्हे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद ताफैसला तक रोका जावें।

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध को अन्तिम रूप से मूल वाद ताफैसला तक पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जाती है कि मौजा सरनाऊ पटवार हल्का सरनाऊ तहसील साचौर के खेत खसरा नम्बर 292/1313 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

पुनः  
सहायक कलेक्टर, साचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, साचौर)

